

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 4013  
दिनांक 25 मार्च, 2025

कृषि व्यवसाय इन्क्यूबेशन केंद्र

4013. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू :  
श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव :

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश के अंतर्गत संचालित कृषि व्यवसाय इन्क्यूबेशन केन्द्र (एबीआईसी) नामक योजना के तहत ऐसे केंद्रों की कुल संख्या का राज्यवार और जिलावार विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;
- (ख) आज की तिथि तक कृषि व्यवसाय इन्क्यूबेशन केन्द्रों को स्वीकृत और उपयोग की गई वर्गीकृत धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) आज की तिथि तक इन्क्यूबेशन केन्द्रों के अंतर्गत किए गए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी कार्यकलापों की सूची संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) इस योजना के नवोन्मेष निधि घटक के अंतर्गत स्थापित क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाइयों और संस्थान प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाइयों (आईटीएमयू) का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री  
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : राष्ट्रीय कृषि नवाचार निधि (NAIF) योजना के अंतर्गत, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के 19 राज्यों में कुल 50 कृषि-व्यवसाय इन्क्यूबेशन केंद्र (ABICs) स्थापित किए हैं। जिला एवं राज्यवार सूची अनुबंध-I में संलग्न है।

इसके अलावा, देश के 22 राज्यों में कुल 24 RAFTAAR कृषि व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स (RABIs) भी स्थापित किए गए हैं। इनकी जिला एवं राज्यवार सूची अनुबंध-II में संलग्न है। इनमें से एक कृषि व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स यथा कृषि नवाचार एवं उद्यमशीलता सेल, आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय (ANGRAU), तिरुपति कैम्पस को आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है।

(ख) : अभी तक, राष्ट्रीय कृषि नवाचार निधि (NAIF) के अंतर्गत कुल 50 कृषि-व्यवसाय इन्क्यूबेशन केंद्रों (ABICs) को रुपये 804,322,037/- की राशि स्वीकृत की गई और रुपये 665,553,056/- का उपयोग किया गया। स्वीकृत राशि एवं उपयोग की गई राशि का राज्यवार विवरण अनुबंध- III में संलग्न है।

(ग) : कृषि व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स के अधिदेशों में शामिल है : कौशल उन्नयन हेतु प्रौद्योगिकी बैंक स्टापिंग, प्रौद्योगिकियों के लिए स्केलअप और मार्गदर्शन (मेन्टोरिंग) और उद्यमियों/स्टार्ट-अप इन्क्यूबेटर्स के व्यावहारिक एवं टिकाऊ व्यवसाय कार्यों को प्रोत्साहन देना।

इसके अलावा, स्टार्ट-अप इन्क्यूबेटर्स को मार्केटिंग लिंकेज आईपी सहयोग एवं फंड की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

(घ) : क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाइयों (ZTMUs) तथा संस्थान प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाइयों (ITMUs) की विस्तृत सूची क्रमशः अनुबंध-IV एवं अनुबंध-V में संलग्न है।

\*\*\*\*\*

{लोक सभा के दिनांक 25.03.2025 के अतारांकित प्रश्न सं. 4013 का भाग (क)}

कृषि-व्यवसाय इन्क्यूबेशन (एबीआई) केंद्रों की जिला एवं राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	एबीआईसी (संख्या)	जिले का नाम
1.	असम	1	कामरूप मेट्रोपॉलिटन
2.	बिहार	1	पटना
3.	गोवा	1	उत्तर गोवा
4.	हरियाणा	1	करनाल
5.	मेघालय	1	री भोई
6.	पश्चिम बंगाल	1	कोलकाता
7.	गुजरात	2	आणंद और जूनागढ़
8.	झारखंड	2	रांची (2)
9.	नई दिल्ली	2	पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली
10.	ओडिशा	2	खोरधा और कटक
11.	मध्य प्रदेश	2	भोपाल और इंदौर
12.	कर्नाटक	3	बेंगलुरु शहरी (2) और दक्षिण कन्नड़
13.	पंजाब	3	लुधियाना (2) और जालंधर
14.	राजस्थान	3	जोधपुर, टोंक और भरतपुर
15.	तमिलनाडु	3	चेन्नई, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली
16.	केरल	4	एर्नाकुलम, तिरुवंतपुरम, कासरगोड और कोझिकोड
17.	तेलंगाना	5	हैदराबाद (5)
18.	महाराष्ट्र	5	मुंबई (2), नागपुर और पुणे (2)
19.	उत्तर प्रदेश	8	बरेली (2), वाराणसी, लखनऊ (2), कानपुर नगर, मेरठ और झांसी
<b>कुल योग</b>		<b>50</b>	

\*\*\*\*\*

{लोक सभा के दिनांक 25.03.2025 के अतारांकित प्रश्न सं. 4013 का भाग (क)}

रफ्तार (RAFTAAR) कृषि-व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स (आरएबीआई) की जिला और राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	आरएबीआई (संख्या)	जिले का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1	चित्तूर
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	पूर्वी सियांग
3.	बिहार	1	भागलपुर
4.	छत्तीसगढ़	1	रायपुर
5.	गुजरात	1	आणंद
6.	जम्मू और कश्मीर	1	जम्मू
7.	हरियाणा	1	हिसार
8.	हिमाचल प्रदेश	1	कांगड़ा
9.	कर्नाटक	1	बेंगलुरु
10.	केरल	1	त्रिशूर
11.	मध्य प्रदेश	1	जबलपुर
12.	महाराष्ट्र	2	मुंबई और अकोला
13.	मिजोरम	1	आइजोल
14.	ओडिशा	1	कटक
15.	पंजाब	1	लुधियाना
16.	राजस्थान	1	जयपुर
17.	त्रिपुरा	1	पश्चिम त्रिपुरा
18.	तमिलनाडु	1	कोयंबटूर
19.	तेलंगाना	1	हैदराबाद
20.	उत्तराखंड	1	ऊधम सिंह नगर
21.	उत्तर प्रदेश	2	बरेली और वाराणसी
22.	पश्चिम बंगाल	1	पश्चिम मेदिनीपुर
<b>कुल योग</b>		<b>24</b>	

\*\*\*\*\*

{लोक सभा के दिनांक 25.03.2025 के अतारंकित प्रश्न सं. 4013 का भाग (ख)}

**भाकृअनुप-कृषि-व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्रों (एबीआईसी) को राज्यवार धनराशि जारी करने और व्यय का विवरण**

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी धनराशि (रु.)	व्यय (रु.)
1	असम	14767230.00	11672140.00
2	बिहार	5689310.00	4450407.00
3	गोवा	17994451.00	14217818.00
4	गुजरात	38832781.00	23312529.00
5	हरियाणा	16625000.00	13249943.00
6	झारखंड	11796306.00	8333739.00
7	कर्नाटक	33250899.00	30020454.00
8	केरल	88154679.00	68568045.00
9	मध्य प्रदेश	37692846.00	32771149.00
10	महाराष्ट्र	79618157.00	71431982.00
11	मेघालय	29104167.00	26283286.00
12	नई दिल्ली	29670716.00	24953515.00
13	ओडिशा	42434503.00	35943123.00
14	पंजाब	44593145.00	34935153.00
15	राजस्थान	31346773.00	24123063.00
16	तमिलनाडु	51097371.00	49462948.00
17	तेलंगाना	90087688.00	79007283.00
18	उत्तर प्रदेश	109442684.00	84677962.00
19	पश्चिम बंगाल	32123331.00	28138517.00
<b>कुल योग</b>		<b>804322037.00</b>	<b>665553056.00</b>

\*\*\*\*\*

{लोक सभा के दिनांक 25.03.2025 के अतारंकित प्रश्न सं. 4013 का भाग (घ)}

एनएआईएफ के नवाचार कोष के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाइयों (ZTMUs)  
की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	जेडटीएमयू (संख्या)
1	हरियाणा	1
2	कर्नाटक	1
3	केरल	1
4	मध्य प्रदेश	1
5	मेघालय	1
6	नई दिल्ली	1
7	तेलंगाना	2
8	उत्तर प्रदेश	2
कुल योग		10

\*\*\*\*\*

{लोक सभा के दिनांक 25.03.2025 के अतारांकित प्रश्न सं. 4013 का भाग (घ)}

एनएआईएफ के नवाचार कोष के अंतर्गत संस्थान प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाइयों  
(आईटीएमयू) की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	आईटीएमयू (संख्या)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
2	आंध्र प्रदेश	2
3	अरुणाचल प्रदेश	1
4	असम	1
5	बिहार	2
6	छत्तीसगढ़	1
7	गोवा	1
8	गुजरात	2
9	हरियाणा	5
10	हिमाचल प्रदेश	2
11	जम्मू और कश्मीर	1
12	झारखंड	2
13	कर्नाटक	4
14	केरल	4
15	मध्य प्रदेश	4
16	महाराष्ट्र	10
17	नागालैंड	1
18	नई दिल्ली	5
19	ओडिशा	5
20	पंजाब	2
21	राजस्थान	6
22	सिक्किम	1
23	तमिलनाडु	3
24	तेलंगाना	5
25	उत्तर प्रदेश	12
26	उत्तराखंड	3
27	पश्चिम बंगाल	3
<b>कुल योग</b>		<b>89</b>

\*\*\*\*\*